

दफ्तर, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला-पाली) राज 0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 65/2017

GCMS No. : 2017/00137

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण

1. घासीराम पुत्र बालाराम

लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार

जाति- गुर्जर, निवासी- सेवरिया,

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

तहसील- जैतारण, जिला- पाली

राज 0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

तारीख रजु :- 03.04.2017

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

--: निर्णय :-

दिनांक :- 22/09/2020

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा- गुड़ा हेमड़ाई, में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 1393/1, रकबा 3-00 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल, लगान 6.20 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अकृषि में 8 गुणा 6 वर्ग फीट की लोहे का केबिन लगाकर शराब की दुकान बनाकर संचालित की जा रही है। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 8 गुणा 6 वर्ग फीट का लोहे का केबिन एवं 15 गुणा 10 वर्गफीट का पक्का कमरा किस्म बारानी अव्वल पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शराब की दुकान बनाकर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा- गुड़ा हेमड़ाई, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 1393/1, रकबा 3-00 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल, लगान 6.20 प्रतिवर्ष के आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 18/03/2017 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी जैतारण एवं भू. अ. निरीक्षक वृत्. जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.12.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार घासीराम पुत्र बालाराम, कौम- गुर्जर, द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा- गुड़ा हेमड़ाई, की खसरा नम्बर 1393/1, रकबा 3-00 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल है, मे से रकबा 8 गुणा 6 वर्ग फीट का लोहे का केबिन एवं 15 गुणा 10 वर्गफीट का पक्का कमरा किस्म बारानी अव्वल पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शराब की दुकान बनाकर संचालित किया जा रहा है। खातेदार द्वारा भूमि का संपरिवर्तन नहीं




(Handwritten signature)


रखा गया है, तथा कृषि भूमि पर काश्त के बजाय बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के शराब की दुकान स्थापित करके संचालित करना कृषि भिन्न एवं वाणिज्यिक गतिविधि हैं, जो कि कृषि जोत के लिए अहितकर कार्य के साथ-साथ विधिवत रूप से संपरिवर्तन कराए बिना ही कृषि भिन्न प्रयोजन में अनुप्रयोग की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, न ही वादी तहसीलदार, जैतारण के वाद-पत्र का खण्डन किया गया है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी का वाद-पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 1393/1, के कुल रकबा में से 48 वर्गफीट भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाना विधि संगत रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1393/1, रकबा 3-00 बीघा, किस्म- बारानी .अव्वल में से 48 वर्गफीट भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 22/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानि)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. घासीराम पुत्र बालाराम
जाति- गुर्जर, निवासी- सेवरिया,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा , मु0न0 :रा0वा0 स0: 65/2017
177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्र सिंह उदावत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- गुड़ा हेमड़ाई, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 1393/1, रकबा 3-00 बीघा, किरम- बारानी अब्बल में से 48 वर्गफीट भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/09/2020 को जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।